पत्रांक 2ब०/प्र०म०–09–10/2018 3998 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०– 36, दिनांक– 05.07.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

कंडिका–6 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् बख्तियारपुर के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

2. उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद् बख्तियारपुर के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

30.7.19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक 2ब०/प्र०म०–09–10/2018 3996 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 30/07/19

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमडंल,/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् बख्तियारपुर/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल ,नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.19

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/प्र०भ०–09–01/2018 36 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 5/7/19

विषयः– **नगर परिषद्, बख्तियारपुर में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹50.00 लाख (पचास लाख हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषदों में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषदों में कुल ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) मात्र एवं उत्तर बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, बख्तियारपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका था, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ससमय योजना का कार्यारम्भ नहीं हो पाया। फलस्वरूप निकासी की गई राशि को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा कोषागार में जमा कर दी गई।

3. वर्तमान में नगर पंचायत, बख्तियारपुर नगर परिषद् में उत्क्रमित हो चुका है। फलस्वरूप कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बख्तियारपुर के पत्रांक– 197, दिनांक– 20.02.2018 द्वारा भूमि की उपलब्धता बताते हुए नगर परिषद्, बख्तियारपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पुनः राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

(२०४)

4. उक्त अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय राज्यादेश सं०– 31, दिनांक– 13.11.2013 द्वारा नगर पंचायत, बख्तियारपुर में स्वीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना को रद्द करते हुए परिषद् के रूप में उत्क्रमित नगर परिषद्, बख्तियारपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 के अनुरूप ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप तत्काल ₹50.00 लाख (पचास लाख हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर परिषद्, बख्तियारपुर	नगर परिषद्, बख्तियारपुर में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन का निर्माण।	311.29	50.00	261.92

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹50.00 लाख (पचास लाख हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, बख्तियारपुर द्वारा कराया जायेगा।

6. स्वीकृत ₹50.00 लाख (पचास लाख हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की **राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, परिषद्, बख्तियारपुर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

9. स्वीकृत ₹50.00 लाख (पचास लाख हजार रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का

समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष– 0101–नगर परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

10. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

11. नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, बख्तियारपुर द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजना के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजना का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण– लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

12. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/प्र०भ०–09–01/2018 के पृष्ठ सं०–24....../टि० पर दिनांक–1.7.19...... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–25........./टि० पर दिनांक–2.7.19........ को प्राप्त है।

15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बख्तियारपुर तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.07.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/प्र०भ०–09–01/2018 36 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 5/7/19

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बख्तियारपुर/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.07.19

सरकार के विशेष सचिव।